FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

प्रार्थना पत्र सं. 322/2025 GCMS NO. 2025/991

अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी

रोहिताश्व सैनी आदि बनाम अनिता आदि

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2025	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उनके श्री विजयसिंह कसाणा एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने सुने जाने का निवेदन किया गया। सुना गया। प्रार्थीगण / वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि एक वाद संख्या 42/2025 रोहिताश्व सैनी आदि बनाम अनिता आदि अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खाता विभाजन पेश किया गया था जिसका निर्णय/ डिक्री दिनांक 10.11.2025 को हो चुका है, तथा अन्तिम डिक्री वास्ते पालना रिपोर्ट में है। तहसीलदार खेतडी को पालना बाबत भिजवाई जा चुकी है। तहसीलदार खेतडी द्वारा पालना हेतु पटवारी हल्का को भिजवाई गई तो पटवारी हल्का ने अवगत कराया है कि उपरोक्त सम्पूर्ण खातें पर एक वाद संख्या 107/25 बउनवानी कन्हैयालाल आदि बनाम सुण्डाराम आदि कर रखा है, जिसमें सम्पूर्ण खाते के नोट संख्या 4 से दिनांक 08.06.2025 को नोट लगा हुआं है। जिसके द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा उपरोक्त खसरा नम्बरान में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय के लगा रखी है। जिसमें राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के उपरोक्त आदेश दिनांक 10.11.2025 की पालना नही हो पा रही है। प्रार्थीगण का उपरोक्त आदेश प्रभावित हो चुका है जिसमें न्यायालय दिनांक 10.11.2025 की पालना नही हो पा रही है। न्यायालय के आदेश की पालना हेतु यह आवश्यक है कि उक्त वाद नम्बर 107/2025 के प्रतिवादी सं. 14, 28 को पाबन्द करने बाबत एक आदेश पारित किया जावे जिसमें आदेश दिनांक 15.05.2025 अस्थाई निषेधाज्ञा में छूट प्रदान किया जाने की कृपा फरमावें। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:24 IST
Reason: SelfAttested

वाद संख्या 25/2025 बउनावनी रोहिताश्व सैनी बनाम अनिता आदि में वाद संख्या 107/2025 के समस्त पक्षकार ने राजीनामा से इकबालिये जावे पेश किया गया था जिंसमें कुर्रेजात पर भी समस्त पक्षकार द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये है। वाद संख्या 25/2025 की पालना हेतु किसी भी पक्षकार कोई आपत्ति भी नही है। यदि किसी को आपत्ति हो तो उक्त वाद में राजीनामा/ इकबालिये जबाव/ कुर्रेजात पर हस्ताक्षर नही करते। वाद संख्या 25/2025 में वादीगण को खसरा नम्बर 767 रकबा 0.30 है. प्राप्त हुआं है जिस पर वादीगण कब्जा है। उक्त खसरा नम्बर में वाद वर्णित पक्षकार को कब्जे सम्बन्धी किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही है। निर्णय/ डिक्री दिनांक 10.11.2025 में प्रस्तावित कुर्रेजात में विधिसम्वत पक्षकरों का प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर को खसरा नम्बर 767 में रास्ता दिया गया है जिससे किसी भी पक्षकार को या हमें कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2025 की पालना हेतु माननीय न्यायालय के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.05.2025 बउनवानी कन्हैयालाल बनाम सुण्डाराम छुट प्रदान करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

हमने दोनो प्रकरणो का मुकदमा नम्बर 93/2025 बउनवानी कन्हैयालाल आदि बनाम सुण्डाराम आदि, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 107/2025 बउनवानी कन्हैयालाल आदि बनाम सुण्डाराम आदि तथा मुकदमा नम्बर 42/2025 बउनावी रोहिताश्व सैनी बनाम अनिता आदि अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955, खाता विभाजन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2025 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दोनो प्रकरणो पक्षकार समान है तथा भूमि भी समान है। पक्षकरो द्वारा मुकदमा नम्बर 42/2025 बउनावी रोहिताश्व सैनी बनाम अनिता आदि में राजीनामा/इकबालिये जबाव स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया है। जिसकी पालना में न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.10.2025 जारी कर तहसीलदार खेतडी को पक्षकारो विधिसम्वत् नोटिस जारी कर कुर्रेजात तैयार करने हेतु तहरीर जारी की गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार खेतडी ने पक्षकारो को विधिसम्वत् नोटिस जारी कर कुर्रेजात तैयारकर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारो के हस्ताक्षर [illegible] मुकदमा नम्बर 107/2025 में अन्तरिम अस्थाई [illegible] प्राप्तकर्ता प्रार्थीगण के हस्ताक्षर है। [illegible] किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत [illegible] प्रतीत होता है कि वाद वर्णित भूमि के समस्त [illegible] को निर्णय दिनांक 10.11.2025 पर कोई आपत्ति नही है ना ही उसकी राजस्व रिकार्ड में पालना बाबत कोई आपत्ति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलस्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मुकदमा नम्बर 107/2025 कन्हैयालाल आदि बनाम सुण्डाराम आदि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.05.2025 से न्यायालय के निर्णय/डिक्री दिनांक 10.11.2025 पर किसी प्रकार का कोई प्रभावित नही होना पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मुकदमा नम्बर 107/2025 कन्हैयालाल आदि बनाम सुण्डाराम आदि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15.05.2025 में आंशिक शिथिलता प्रदान कर सिर्फ मुकदमा नम्बर 42/2025 बउनावनी रोहिताश्व सैनी बनाम अनिता आदि अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955, खाता विभाजन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2025 की पालना करने हेतु तहसीलदार खेतडी को आदेश दिये जाते है। उक्त मुकदमा नम्बर 42/2025 की पालना के अतिरिक्त मुकदमा नम्बर 107/2025 कन्हैयालाल आदि बनाम सुण्डाराम आदि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 15.05.2025 यथावत् रहेगा। तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

यह आज तारीख **21.11.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 14:57:24 IST
Reason: SelfAttested